कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

COCHIN SHIPYARD LTD

कार्मिक व प्रशासन विभाग

PERSONNEL AND ADMINISTRATION DEPARTMENT

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

पीएण्डए/प्रशा./P&A/Admin/109/04/19 31.05.2019

शिपयार्ड आश्वासा किरणम (सखी)

SHIPYARD ASWASA KIRANAM (SAKi)

(सीएसएल कर्मचारियों के लिए एक आकस्मिक राहत योजना जो 01.01.2007/01.04.2007 और 01.01.2017/01.04.2017 के बीच की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए है / A contingency relief scheme for CSL employees who retired during the period between 01.01.2007/01.04.2007 and 01.01.2017/01.04.2017)

दिशा-निर्देश /GUIDELINES

1. सीएसएल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को सीएसएल के उन स्थायी कर्मचारियों के लाभ हेतु “शिपयार्ड आश्वासा किरणम” नामक एक आकस्मिक राहत योजना उन स्थायी कर्मचारियों के लाभ हेतु शुरु करने में खुशी महसूस हो रही है, जिन्होंने 01.01.2007 और 01.01.2017 अधिकारियों व पर्यवेक्षकों के मामले में और 01.04.2007 और 01.04.2017 कामगारों के मामले में, इस अवधि के दौरान 15 साल की सेवा के बाद सीएसएल की सेवाओं से सेवानिवृत्त या स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए है। योजना का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य स्वस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए सीएसएल के उन पूर्व कर्मचारियों या उनके जीवनसाथी तक उनकी ज़रूरत के समय में पहुँचाना है। कंपनी ने पूर्व कर्मचारियों की उपरोक्त श्रेणियों के लिए शिपयार्ड चिकित्सा अंशदायी योजना (एसएमसीएस) और बीमा बद्ध पोस्ट रिटायरमेंट चिकित्सा सहायता योजना (आईएलपीएमएएस) नामक एक पोस्ट रिटायरमेंट चिकित्सा योजना शुरू की थी। जबकि इन योजनाओं में, योजनाओं के तहत पात्र व्यक्तियों के चिकित्सा उपचार के लिए बीमा से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान था, *सखी* जीवित रहने और स्वस्थ रहने के लिए विशेषकर उन मामलों के लिए जहाँ एसएमसीएस/आईएलपीएमएएस के तहत राहत उपलब्ध नहीं हैं उनके लिए अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं पर काबू पाने के

लिए वित्तीय सहायता की परिकल्पना करता हैं। निम्नलिखित वे सामान्यं दिशा-निर्देश/ रूपरेखा है जिनके भीतर उक्त नियम संचलित किया जाएगा। इन सामान्य दिशा-निर्देशों के बावजूद, सीएसएल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पास इस संबंध में उचित निर्णय लेने हेतु पूर्ण और गैर-चुनौतीपूर्ण विवेकाधीन शक्तियाँ होगी, जो उसके संचालन के किसी भी समय उनके द्वारा उचित समझे गए हो। इस संबंध में सीएसएल के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्य होगा।

C&MD of CSL is pleased to introduce "Shipyard Aswasa Kiranam", a contingency relief scheme for the benefit of those permanent employees of CSL who superannuated or voluntarily retired from the services of CSL after 15 years of service, during the period between 01.01.2007 and 01.01.2017 in the case of officers and supervisors and 01.04.2007 and 01.04.2017 in the case of workmen. The quintessential objective of the scheme is to reach out to those former employees of CSL or their surviving spouses in their hour of need for maintaining a healthy life. Company had introduced a post-retirement medical assistance scheme called Shipyard Medical Contributory Scheme (SMCS) and an Insurance Linked Post-retirement Medical Assistance Scheme (ILPMAS) for the above categories of former employees respectively. While these schemes contained provision for extending insurance linked financial assistance for medical treatment of the eligible persons under the schemes, the SAKi envisages financial assistance to them to tide over their contingency requirements for survival and healthy living, especially for those cases where relief is not available under SMCS/ILPMAS. The following are general guidelines/frame work within which the said proviso may be operated. Notwithstanding these general guidelines, C&MD of CSL shall have the absolute and un-challengeable discretionary powers to make appropriate decisions in this regard as deemed fit by him at any point of time of its operation. Decision of C&MD of CSL in this regard shall be final and binding on all.

(i) आकस्मिक व्यय या आपात स्थिति जो विशेष सहायता के योग्य हो सकती हैं:
Contingencies or emergencies qualifying special assistance could be:

a. सेवानिवृत्त कर्मचारी या उसके पति या पत्नी की दीर्घकालीन बीमारी, जिसमें संबंधित पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकल सहायता योजनाओं के तहत पर्याप्त गैर-प्रतिपूर्ति योग्य चिकित्सा उपचार खर्च शामिल है।
Prolonged illness of either the retired employee or his spouse involving substantial non-reimbursable medical treatment expenses under the respective post-retirement medical assistance schemes.

b. परिवार की गरीबी की दयनीय स्थिति / Abject poverty of the family.

c. प्राकृतिक आपदाओं या विपदा के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी के आवास खण्ड को नुकसान ।

Damages to the dwelling unit of the retired employee on account of natural calamities or disaster.

d. सेवानिवृत्त कर्मचारी या उसके पति या पत्नी की गतिहीनता।
Immobility of the retired employee or his spouse.

(ii) केवल वे कर्मचारी जो सेवा-निवृत्त या स्वैच्छिक रूप से सीएसएल की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हैं और एसएमसीएस/आईएलपीएमएएस के अंतर्गत आते हैं, उनके जीवनसाथी विशेष आकस्मिक सहायता के लिए संभावित पात्र लाभार्थी होंगे।
Only those employees who superannuated or voluntarily retired from the services of CSL and covered under SMCS/ILPMAS and their spouses shall be the potentially eligible beneficiaries for the special contingent assistance.

(iii) पात्र पूर्व कर्मचारी सीएसएल के मुख्य कल्याण अधिकारी को सहायता के लिए योजना के तहत या तो अपने किसी मित्र या रिश्तेदार के माध्यम से या सीएसएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से किसी भी बंधुता समूह के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
The eligible former employees may apply for the assistance under the scheme to the Chief Welfare Officer of CSL either directly or through any of his friends or relatives or through any of the fraternity group of retired employees of CSL.

(iv) सीएसएल प्रबंधन भी सहायता के लिए पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी में से किसी पर विचार करने के लिए अपनी ओर से मुक्त है।
CSL Management is also free to consider any of the eligible retired employee for the assistance on suo-moto basis.

(v) ऐसे सभी आवेदनों या मामलों की इस उद्देश्य से नियुक्त सीएसएल तदर्थ समिति द्वारा यथावत् जांच के आधार पर गहन छानबीन और मूल्यांकन किया जाना है। समिति सहायता के लिए आवेदन / संदर्भ की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर उचित माध्यम के द्वारा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को सिफारिश के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
All such applications or cases are to be thoroughly scrutinized and evaluated vide home based in-situ enquiry by the CSL Ad-Hoc Committee appointed for the purpose. The Committee shall submit its report with recommendation to C&MD through proper channel within two weeks of the receipt of application/reference for assistance.

(vi) संबंधित अधिकारियों / निदेशकों द्वारा तथ्य जाँच समिति और समर्थन / सहमति की रिपोर्ट के आधार पर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अपना स्वतंत्र निर्णय करेगा।

Based on the report of the fact finding committee and endorsement /concurrence by the concerned officers/directors, C&MD would make his independent decision.

2. सहायता के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा विचार के लिए मुख्य घटक निम्नलिखित है:

The following are the main factors for consideration by C&MD while deciding up on the application for assistance:

(i) आवेदक सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके बच्चों की वित्तीय क्षमता।

Financial capability of the applicant retired employee and or his children.

(ii) उल्लिखित आकस्मिकता के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी या उसके परिवार पर वित्तीय संकट या देयता की तीव्रता।

Intensity of financial crunch or liability cast on either the retired employee or his family on account of the contingencies afore-stated.

3. विशेष सहायता की दर / मात्रा निम्नलिखित हो सकती है:

The following could be the rate/volume of the special assistance:

(i) 1.i.ए के तहत आकस्मिकता के लिए, एक सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पति या पत्नी के लिए एक साथ एकमुश्त या किश्तों में अधिकतम 1,50,000/- रू. जैसा कि अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा तय किया जाएगा।

For contingency under 1.i.a = Maximum of Rs.1,50,000/- together for a retired employee and his spouse either in lump sum or in installments as may be decided by the C&MD.

(ii) 1.i.बी के तहत आकस्मिकता के लिए, अधिकतम 100 महीने के लिए अधिकतम 5,000/- रू. प्रति माह।

For contingency under 1.1.b = Maximum Rs.5,000/- per month for maximum of 100 months.

(iii) 1.i.सी के तहत आकस्मिकता के लिए, अधिकतम 1,00,000/- रू. की एक बार की सहायता।

For contingency under 1.i.c = Maximum one time assistance of Rs.1,00,000/-

(iv) 1.i.डी के तहत आकस्मिकता के लिए, एक सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पति या पत्नी के लिए एक साथ उपयुक्त गतिशीलता सहयोगियों के क्रय के बिल के नामे।
For contingency under 1.i.d = Maximum Rs.25,000/- together for the retired employee and his spouse against bill of purchase of suitable mobility aides.

(v) इस प्रावधान के तहत कुल व्यय सीमा 24,00,000/- रू. प्रति वर्ष होगी।
Overall expenditure limit under this proviso shall be Rs.24,00,000/- per year.

(एम डी वर्गीस / M D Varghese)
मुख्य महाप्रबंधक (औ.सं.व प्रशा.) एवं सीएसआर प्रमुख
Chief General Manager (IR &Admin) & Head CSR